राजस्थान सरकार
परिवहन विभाग

एफ 19(2292)/परि/लेखा/परिपत्र/2017/28807 जयपुर, दिनांक 01/02/17

कार्यालय आदेश क्रमांक 5 /2017

विभागीय आदेश सं. 23/2015 दिनांक 29.07.2015 एवं समय–समय पर जारी आदेशों के तहत जिला परिवहन कार्यालयों में पंजीयन कार्य हेतु अधिकृत डीलरों द्वारा संग्रहित राजस्व को उसी दिन (राजकीय अवकाशों को छोडकर) ई– ग्रास/ई–चालान के माध्यम से राजकोष में जमा कराने के निर्देश प्रदान किये गये थे। माह जनवरी 2017 में लेखाकर्मियों की आयोजित बैठक में उनके द्वारा प्रस्तुत सूचनओं के अनुसार ध्यान में लाया गया कि डीलर्स द्वारा संग्रहित राजस्व यथा समय राजकोष में जमा नहीं कराया जा रहा है, एवं विलम्ब से जमा की स्थिति में नियमानुसार देय ब्याज की वसूली भी अधीनस्थ कार्यालयों द्वारा यथासमय नहीं की जा रही है। साथ ही ऐसे दोषी डीलर्स के विरूद्ध कोई कार्यवाही भी प्रस्तावित नहीं की गई है जिससे प्रतीत होता है कि अधीनस्थ कार्यालयों के स्तर पर पंजीयन कार्य हेतु अधिकृत डीलरों द्वारा प्रस्तुत रिकार्ड की जांच नहीं की जा रही है। अतः इस सम्बन्ध में पुनः निर्देशित किया जाता है कि :–

1. अधिकृत पंजीयन अधिकारी (डीलर्स) द्वारा प्रत्येक माह की समाप्ति पर अगले माह की 7 तारीख तक एक मासिक रिटर्न संलग्न प्रारूप में रिकार्ड के साथ संबंधित जिला परिवहन कार्यालयों में प्रस्तुत की जावें।
2. डीलर्स द्वारा प्रस्तुत रिकार्ड की जांच कार्यालय में पदस्थापित लेखाकर्मी से आवश्यक रूप से करवाई जाकर प्रत्येक माह की 10 तारीख तक इस आशय का प्रमाण पत्र जारी किया जावें कि उसके द्वारा प्रस्तुत रिटर्न सही है, एवं देय राजस्व निर्धारित समय से राजकोष में जमा करा दिया गया है।
3. जिला परिवहन अधिकारी का यह दायित्व होगा कि लेखाकर्मी द्वारा चालानों की जांच उपरांत ही सम्बन्धित अधिकृत पंजीयन डीलर्स को वांछित स्टेशनरी जारी की जावें।
4. विभाग द्वारा समय–समय पर जारी निर्देशों के तहत अधिकृत पंजीयन डीलर्स द्वारा यदि कोई राशि विलम्ब से जमा करायी गयी है तो उसकी पूर्ण जांच कर दोषी डीलर्स से देय ब्याज की अविलम्ब वसूली सुनिश्चित की जावे।
5. डीलर्स द्वारा यदि संग्रहित राजस्व विलम्ब से जमा कराया जाता है तो विलम्ब अवधि का ब्याज 18 प्रतिशत की दर से वसूल किया जाकर ऐसे प्रकरणों की सूचना पृथक से वित्तीय सलाहकार मुख्यालय को प्रेषित की जावें।

निर्देशों की अवहेलना की स्थिति में संबंधित लेखाकर्मी/जि.प.अ. व्यक्तिशः जिम्मेदार होगें।

इसे सर्वोच्च प्राथमिकता देवें।

(शैलेन्द्र अग्रवाल)
प्रमुख शासन सचिव
एवं परिवहन आयुक्त

28808-811 dt 01/02/17

प्रतिलिपिः–

1. निजी सचिव प्रमुख शासन सचिव एवं परिवहन आयुक्त
2. निजी सहायक, अपर परिवहन आयुक्त (प्रशा.)
3. मुख्यालय के समस्त अधिकारी
4. समस्त प्रादेशिक/जिला परिवहन अधिकारी

वित्तीय सलाहकार